भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं. ए.60011/30/2017/एचआरपीसी/63

दिनांक 07.02.2019

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्वीक्षेत्र
नईदिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
रे.नि.वि.ए./उ.नि.ए,
नईदिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेन्नई हवाईअड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य,
नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)
बमरौली, इलाहाबाद

महाप्रबंधक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
के.रे.भं.डि./वि.एवं यां. कार्यशाला
नई दिल्ली

नि.मा.सं.प्र.परिपत्र सं. 10 / 2019: संशोधित भाविप्रा चिकित्सा नीति

भाविप्रा लाभार्थियों के लिए मौजूदा चिकित्सा नीति में आंशिक संशोधन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा चिकित्सा नीति में निम्नलिखित संशोधन / परिवर्धन अनुमोदित किए हैं :

1 **भाविप्रा लाभार्थियों के लिए ओपीडी चिकित्सा उपचार:**

1.1 सेवारत और सेवानिवृत भाविप्रा लाभार्थियों के पास नीचे उल्लिखित योजनाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। कर्मचारी के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले महीने में वांछित विकल्प जमा करने का विकल्प होगा। वित्तीय वर्ष के लिए एक बार विकल्प फ्रीज होने के बाद इसे केवल अगले वित्तीय वर्ष में बदला जा सकता है।

1.2 **योजना- ए**

सेवारत और सेवानिवृत अधिकारियों के पास योजनाए चुनने का विकल्प होगा जिसमें वह बिल प्रस्तुत करने पर अपनी अधिकतम वार्षिक सीमा पात्रता तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। उनकी अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार है:

1.2.1 **सेवारत अधिकारियों के लिए:**

स्तर	01.01.2017 से प्रभावी वेतनमान	अधिकतम वार्षिक सीमा (INR में)
ई-1	40000-140000	69000
ई-2	50000-160000	73600
ई-3	60000-180000	78200
ई-4	70000-200000	82800
ई-5	80000-220000	87400
ई-6	90000-240000	92000
ई-7	100000-260000	100000
ई-8	120000-280000	120000
ई-9	150000-300000	150000
बोर्ड के सदस्य / सीवीओ	180000-340000	180000
अध्यक्ष	200000-370000	200000

1.2.2 **सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए:**

स्तर	01.01.2017 से प्रभावी वेतनमान	अधिकतम वार्षिक सीमा (INR में)
ई-1	40000-140000	37260
ई-2	50000-160000	39330
ई-3	60000-180000	41400
ई-4	70000-200000	45540
ई-5	80000-220000	47610
ई-6	90000-240000	49680
ई-7	100000-260000	51750
ई-8	120000-280000	60000
ई-9	150000-300000	75000
बोर्ड के सदस्य / सीवीओ	180000-340000	90000
अध्यक्ष	200000-370000	100000

1.3 **योजना बी:**

1.3.1 सेवारत अधिकारी एम्पलॉय सेल्फ-सर्विस (ई एस.एस.) पोर्टल में स्व-प्रमाणन के आधार पर ओपीडी प्रतिपूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं (नीचे बताए अनुसार) । इसकी वार्षिक अधिकतम सीमा स्कीम ए में उल्लिखित उनकी पात्रता के अनुसार वार्षिक अधिकतम सीमा राशि के **80%** तक सीमित है । यह राशि स्व-प्रमाणन के आधार पर त्रैमासिक आधार पर दी जाएगी ।

सेवारत अधिकारियों के लिए

स्तर	01.01.2017 से प्रभावी वेतनमान	अधिकतम वार्षिक सीमा (INR में) (स्कीम ए का 80%)
ई-1	40000-140000	55200
ई-2	50000-160000	58880
ई-3	60000-180000	62560
ई-4	70000-200000	66240
ई-5	80000-220000	69920
ई-6	90000-240000	73600
ई-7	100000-260000	80000
ई-8	120000-280000	96000
ई-9	150000-300000	120000
बोर्ड के सदस्य / सीवीओ	180000-340000	144000
अध्यक्ष	200000-370000	160000

1.3.2 इसी तरह सेवानिवृत अधिकारी भी स्व-प्रमाणन के आधार पर ओपीडी प्रतिपूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं जिसकी वार्षिक अधिकतम सीमा स्कीम ए में उल्लिखित उनकी पात्रता के अनुसार वार्षिक अधिकतम सीमा राशि के **80%** तक सीमित है । यह राशि स्व-प्रमाणन के आधार पर त्रैमासिकआधार पर तथा बिल प्रस्तुत किए बिना दी जाएगी ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए

स्तर	01.01.2017 से प्रभावी वेतनमान	अधिकतम वार्षिक सीमा (INR में) स्कीम बी के अनुसार (स्कीम ए का 80%)
ई-1	40000-140000	29808
ई-2	50000-160000	31464
ई-3	60000-180000	33120
ई-4	70000-200000	36432
ई-5	80000-220000	38088
ई-6	90000-240000	39744
ई-7	100000-260000	41400
ई-8	120000-280000	48000
ई-9	150000-300000	60000
बोर्ड के सदस्य / सीवीओ	180000-340000	72000
अध्यक्ष	200000-370000	80000

1.4 सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए दोनों योजनाओं में ओपीडी सीलिंग में प्रत्येक **वित्तीय वर्ष में 3% की वार्षिक वृद्धि** ।

1.5 स्कीम ए या स्कीम बी का विकल्प चुनने वाले सभी भाविप्रा कर्मचारियों (सेवारत और सेवानिवृत दोनों) को दंत चिकित्सा तथा फिजियोथेरेपी के लिए वास्तविक बिल जमा करने पर **प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 3% की वृद्धि के साथ कुल 20,000/-की राशि** प्रदान की जाएगी । यह राशि सेवारत और सेवानिवृत भाविप्रा कार्मिकों को प्रदान की जाने वाली स्कीम ए या स्कीम बी की वार्षिक ओपीडी अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होगी । लाभार्थियों द्वारा **20**,000/- की उक्त राशि का पूर्ण उपयोग किए जाने के बाद आगे कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी और दंतचिकित्सा तथा फिजियोथेरेपी के लिए किए गए सभी अन्य खर्च ओपीडी सीमा के ही भीतर वहन किए जाएंगे ।

1.6 जीर्ण रोग (Chronic Disease) सहित वास्तविक व्यय के अनुरुप परामर्श शुल्क / सभी दवाएं / टीकाकरण / पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर / विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर निर्धारित पैकेज सहित सभी टेस्ट ओपीडी की सीमा में स्वीकार्य होंगे ।

1.7 आश्रित संबंधी शर्तो पर विचार करने के लिए, सभी स्रोतों से परिवार के सदस्यों की वित्तीय आय सीमा (पेंशन, पेंशन या वजीफा आदि पर अस्थायी वृद्धि सहित) **9,000/-रुपये** तक बढ़ाई जाती है । वित्तीय सीमा को परिभाषित करने के लिए पेंशन महंगाई भत्ते को छोड़ कर है ।

2 **पैथोलॉजिकल टेस्ट / इमेजिंग**

2.1 सभी लाभार्थियों को सभी टेस्ट / इमेजिंग की प्रतिपूर्ति की अनुमति तब ही दी जाएगी, जब वे टेस्ट एनएबीएल से मान्यताप्राप्त लैब, सीजीएचएस अनुमोदित लैब तथा भाविप्रा के पैनल पर लैब द्वारा किए गए हों । प्रतिपूर्ति, वास्तविक व्यय के अनुरूप ओपीडी सीमा के भीतर की जाएगी ।

2.2 500 / - और उससे अधिक की लागत वाले ओपीडी टेस्ट की प्रतिपूर्ति का प्रावधान निरस्त किया जाता है ।

2.3 निम्नलिखित **उच्च लागत टेस्ट** की प्रतिपूर्ति ओपीडी की अधिकतम सीमा के ऊपर की जाएगी:

I. एमआरआई स्कैन
II. सीटी स्कैन
III. पीईटी स्कैन
IV. कैंसर या ट्यूमर मार्कर टेस्ट
V. न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग / टेस्ट
VI. DEXA स्कैन
VII. ओपीडी प्रक्रिया के रूप में किए जाने पर बायोप्सी (सीटी निर्देशित सहित)
VIII. ईईजी (इलेक्ट्रो- एन्सेफालोग्राम)
IX. ईआरसीपी
X. 5,000/-से अधिक राशि का कोई भी अन्य एकल परीक्षण

3 <u>जीर्ण रोग</u> (Chronic Disease)

सेवारत और सेवानिवृत दोनों कर्मचारियों के लिए अनुलग्नक ए और बी में बताए अनुसार जीर्ण रोग की दो सूची हैं ।

3.1 **अनुलग्नक ए में उल्लिखित जीर्ण रोग (केवल उन्हीं सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों पर लागू है जिन्होंने योजना ए को चुना है, अर्थात यह योजना बी को चुनने वालों पर लागू नहीं है)**

3.1.1 अनुलग्नक ए में उल्लिखित जीर्ण रोग के उपचार के लिए किए गए व्यय हेतु, पात्रता अनुसार वार्षिक अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 40% राशि स्वीकार्य होगी बशर्ते कि सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान ओपीडी व्यय की वार्षिक अधिकतमसीमा समाप्त हो गई हो ।

3.1.2 इलाज़ कर रहे चिकित्सा सलाहकार की संस्तुति पर मा. सं. / प्रशासन विभाग द्वारा जारी जीर्ण रोग प्रमाण पत्र भाविप्रा के सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है ।

3.2 **अनुलग्नक बी में उल्लिखित जीर्ण / गंभीर रोग (किसी भी योजना अर्थात योजना ए या योजना बी को चुनने वाले सेवारत और सेवानिवृत दोनों कर्मचारियों पर लागू है)**

3.2.1 अनुलग्नक बी में उल्लिखित गंभीर रोगों के उपचार के लिए किया गया व्यय वार्षिक ओपीडी अधिकतम सीमा से बाहर होगा । अन्य शब्दों में, अनुलग्नक बी में उल्लिखित गंभीर रोगों के उपचार के लिए सेवारत और सेवानिवृत दोनों कर्मचारियों को **100%** प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

3.2.2 इलाज़ कर रहे चिकित्सा सलाहकार की संस्तुति पर मा. सं./ प्रशासन विभाग द्वारा जारी जीर्ण रोग प्रमाण पत्र भाविप्रा के सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है ।

3.3 अनुलग्नक ए और बी में सूचीबद्ध रोगों के संदर्भ में जीर्ण रोग प्रमाण पत्र संबंधित स्टेशनों पर संबंधित क्षे. का. नि. / वि. नि. के अनुमोदन से मानव संसाधन / प्रशासन निदेशालय द्वारा तथा निगमित मुख्यालय में इलाज़ कर रहे चिकित्सा सलाहकार / विशेषज्ञ की संस्तुति पर का.नि. (प्रशासन) / म. प्र.प्रशासन) द्वारा जारी किया जाएगा ।

4 <u>गृह आधारित उपचार</u>

4.1 निम्नलिखित परिस्थितियों में, गृह आधारित उपचार प्रदान किया जाएगा जोकि ओपीडी अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर है ।

I. कोमा
II. सिर पर चोट लगने के परिणामस्वरूप सभी चार अंगों के पक्षाघात के कारण रोगी शय्या ग्रस्त (bed-ridden) हो गया हो ।

4.2 **गृह आधारित उपचार की शर्तें**

4.2.1 केवल कर्मचारी, पति / पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए लागू ।

4.2.2 यह केवल उन स्थितियों में ही स्वीकार होगा, जहाँ रोगी शय्याग्रस्त (bed-ridden) हो गया हो (अंगों का पक्षाघात/ आंत्र और मूत्राशय पर नियंत्रण समाप्त होना / नासोगैस्ट्रिक (Nasogastric) ट्यूब आदि के माध्यम से भोजन खिलाना), और रोगी आंत्रेतर (parenteral) दवा / पोषण पर हो ।

4.2.3 दवाएं, इंजेक्शन, सीरिंज / सुई आदि **(उपभोज्य)** (consumable) का भुगतान इलाज़ कर रहे चिकित्सक की पर्ची (prescription) और खरीद वाउचर प्रस्तुत करने पर किया जाएगा । ड्रेसिंग सामग्री, डायपर, थर्मामीटर, सैनिटाइज़र, खाद्य पूरक (food supplement)आदि जैसी चीजें देय नहीं हैं ।

4.2.4 घर पर नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता के मामले में – इसकी अनुमति मेट्रो शहरों के लिए **रु 25000/- प्रति माह** या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की दर से दी जाएगी बशर्ते कि नर्सिंग देखभाल एजेंसी और कर्मचारी के बीच समझौते का वैधपत्र प्रस्तुत किया जाए । इस समझौते में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले नर्सिंग स्टाफ का परिचय होना आवश्यक है ।

4.2.5 अन्य शहरों के मामले में, निम्नलिखित दरों के अनुसार नर्सिंग शुल्क की अनुमति दी जाएगी

' Y' श्रेणी के शहर = रु 20,000 / -
'Z' श्रेणी के शहर = रु 17,500 / -

4.2.6 फिजियोथेरेपी सेवाओं की आवश्यकता के मामले में, इलाज़ कर रहे चिकित्सक की पर्ची (prescription) प्रस्तुत करने पर लागू सीजीएचएस दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा ।

5 **कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच**

5.1 महाप्रबंधक (ई-8) और उससे उच्च पदों के लिए: स्वास्थ्य पैकेज का लाभ प्रति वर्ष उठाया जा सकता है जिसमें महाप्रबंधक (ई-8) और उससे उच्च पदों के लिए लागू मौजूदा टेस्टों के अतिरिक्त अनुलग्नक सी में उल्लिखित टेस्ट शामिल हैं ।

5.2 महाप्रबंधक (ई-8) के स्तर से नीचे और 50 वर्ष से अधिक आयु वाले अधिकारियों के लिए, अनुलग्नक-**डी के** अनुसार स्वास्थ्य पैकेज प्रत्येक वर्ष में एक बार लिया जा सकता है ।

5.3 यह वार्षिक स्वास्थ्य जांच वार्षिक ओपीडी अधिकतम सीमा से इतर हैं और ये टेस्ट एनएबीएल से मान्यता प्राप्त लैब, सीजीएचएस अनुमोदित लैब तथा भाविप्रा के पैनल पर लैब द्वारा किए गए हों ।

5.4 स्वास्थ्य पैकेज एक निश्चित लागत पर तय किया जा सकता है । इस संबंध में, पैथोलॉजिकल लैब और इमेजिंग केंद्रों को पैनल पर लेने के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें संबंधित क्षे. का. नि. और निगमित मुख्यालय के लिए का.नि. (प्रशासन) द्वारा तय की जाएंगी ।

6 भाविप्रा लाभार्थियों को कृत्रिम उपकरणों की सुविधा का लाभ उठाने की भी अनुमति होगी (मौजूदा के अतिरिक्त) जैसे: व्हीलचेयर (नॉन-मोटराइज्ड), इंसुलिन पंप (केवल जुवेनाइल डीएम के मामलों में), ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेसिस (नॉन-मोटराइज्ड) और सीजीएचएस के तहत अनुमोदित अन्य कोई उपकरण । इनकी प्रतिपूर्ति लागू सीजीएचएस दरों या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार होगी । मौजूदा दिशानिर्देशों केअनुसार सीजीएचएस दरों से अधिक की समस्त राशि कर्मचारी द्वारा वहन की जाएगी ।

7 **आईपीडी चिकित्सा उपचार**

7.1 विभिन्न क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों के मामले में जहां चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं शहरों के बराबर नहीं हैं और अस्पतालों / नर्सिंग होम को पैनल पर लेने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उत्तर-पूर्व क्षेत्र के मामले (परिपत्र ए.60011/35/2014-जीएस iii (मेडिकल) दिनांक 13 फरवरी 2017) में किए गए विशेष प्रावधान के अनुरूप, संबंधित क्षे. का. नि. द्वारा अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए, अस्पतालों/नर्सिंग होम को पैनल पर लेने के लिए विचार किया जाए। ऐसे सभी मामलों में, क्षे. का. नि. कार्यालय को अपना केस तैयार करे और विधिवत व अनुशंसित प्रस्ताव को निगमित मुख्यालय के प्रस्तुत करे जिससे कि सक्षम प्राधिकारी अर्थात सदस्य-मानव संसाधन की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

7.2 **आंखों के उपचार के मामले में**: केवल रेटिना की बीमारियों में, जिसके लिए विशेषज्ञ सलाहकार द्वारा पारंपरिक उपचार प्रक्रियाओं की सिफारिश नहीं की जाती है, ऐसे में उपचार करने वाले चिकित्सा सलाहकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अधीन लेजर प्रक्रियाओं के माध्यम से उपचार की अनुमति दी जा सकती है।

7.3 आईपीडी उपचार के तहत किसी भी तरह के कॉस्मेटिक / सौंदर्यीकरण उपचार की अनुमति नहीं होगी।

8 **योजना का सदस्य बनने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा वित्तीय योगदान**:

8.1 वर्तमान लागू प्रत्येक तीन वर्ष में **रु 50/- सदस्यता नवीकरण शुल्क इस के साथ समाप्त होता है ।**

8.2 जो कर्मचारी इस योजना के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, वे निम्नानुसार एकमुश्त राशि का भुगतान कर भाविप्रा चिकित्सा योजना में शामिल हो सकते हैं:

स्तर	**एकमुश्त राशि (INR में)**
समूह बी के अधिकारी तथा स. म. प्र. स्तर तक के समूह ए के अधिकारी	3500 / -
उ. म. प्र. से लेकर म. प्र. स्तर तक अधिकारी	4000 / -
का. नि. और उससे उच्च अधिकारी	5000 / -

8.3 सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो मौजूदा चिकित्सा योजना के सदस्य हैं, उन्हें ऊपर पैरा 8.2 में उल्लिखित किसी भी नवीकरण शुल्क या एकमुश्त योगदान का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

8.4 सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो भाविप्रा चिकित्सा लाभ योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल माह में, अपने और अपने आश्रितों के लिए जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.5 डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार (डीपीई ओ.एम सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यू सी) – जीएल -XIII/17 दिनांक 3 अगस्त 2017) बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा होने या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले, पर सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (15 वर्ष की सेवा के प्रावधान से किसी भी संबंध के बिना) के लिए पात्र हैं।

8.6 सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त चिकित्सा लाभ योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से परिवार के सदस्य के रूप में अपने आश्रित माता-पिता को इसमें शामिल कर सकते हैं बशर्ते वह किसी अन्य स्रोत

से चिकित्सा सुविधा नहीं ले रहे हों और उनकी वित्तीय स्थिति परिवार के आश्रित सदस्य के लिए निर्धारित सीमा के अनुरूप हो ।

9 उपर्युक्त योजना **1 अप्रैल 2019** से लागू होगी ।

10 गैर कार्यपालकों के संबंध में संशोधित चिकित्सा अधिकतम सीमा अलग से जारी की जाएगी।

11 उपर्युक्त संशोधनों को छोड़कर, समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजय जैन)
कार्यपालक निदेशक (मा. सं.)

वितरण: -

- अध्यक्ष महोदय के उ.म.प्र. (का.स.)
- सदस्य (वित्त/मा.सं./प्रचालन/योजना/एएनएस) / मुख्य सतर्कता अधिकारी के उ.म.प्र. (का.स.)
- निगमित मुख्यालय /प्रचालन कार्यालय/ भाविप्रा कार्यालय परिसर में सभी विभागाध्यक्ष
- म.प्र.(सू. प्रौ.)-भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी म. प्र. (मा. सं.)/म.प्र. (सैप)
- महासचिव- एएओए (आई) /एटीसी गिल्ड (आई) /आईएएआईओए/एएआई इंजी. गिल्ड (आई) / एएआई एससी एसटी एसोसिएशन
- महासचिव – एएईयू
- **नोट: विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिकृत माना जाएगा।**

अनुलग्नक - ए

➢ योजना ए का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों पर लागू जीर्ण रोग(Chronic Diseases)

1. ट्यूबरक्लोसिस
2. मेटाबोलिक रोग
3. एपिलेप्सी
4. पेम्फ़िगस
5. ब्रोंकल अस्थमा
6 हेपेटाइटिस - बी
7 हेपेटाइटिस -सी
8 नेफ़्रोटिक सिंड्रोम
9 अल्सरेटिव कोलाइटिस
10 अप्लास्टिक एनीमिया
11 क्रोनिक रेनल फेलियर
12 पार्किंसन
13 हाइपोथायरायडिज्म और मायक्सडेमा
14 हाइपरथायरायडिज्म (थायोटॉक्सिकोसिस)
15 ओपन एंगल ग्लूकोमा
16 रेटिनल डिटैचमेंट
17 सीओपीडी
18 डायबिटीज़
19 सिज़ोफ्रेनिया
20 ब्रोंकाइटिस
21 सिस्टिकफाइब्रोसिस
22 सारकॉइडोसिस
23 सिस्टेमिक हाइपरटेंशन
24 कार्डिएक एरिझ्मिया
25 ऑस्टियोपोरोसिसव सभीप्रकारका आर्थेराइटिस
26 क्रोनरोग
27 मस्क्युलर डिस्ट्रोफी
28 अंक्यलोसिस स्पॉन्डिलाइटिसआदि
29 एसएलई
30 इस्केमिक/रूमेटिक हार्ट डिसिजेस

****

<u>अनुलग्नक - बी</u>

निम्नलिखित गंभीर (critical) / जीर्ण (chronic) रोगों के लिए, मानव संसाधन / प्रशासन विभाग द्वारा जारी क्रोनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, भाविप्रा के सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कार्मिकों के लिए 100% प्रतिपूर्ति लागू है ।

1. किडनी डायलिसिस
2. थैलेसीमिया
3. कैंसर
4. हीमोफिलिया
5. पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट मेडिकेशन
6. सिरोसिस ऑफ लिवर
7. एचआईवी संक्रमण (एड्स)

****

अनुलग्नक–सी

म. प्र. और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य परीक्षण (प्रति वर्ष एकबार)
आई (फंडस) एग्ज़ामिनेशन
टीएमटी
इको
एस. विटामीन - डी3 स्तर
टोनोमेट्री
पीएसए (पुरुषों के लिए)
पीएपी स्मियर (महिलाओं के लिए)
हेमोग्राम
1. एचबी%
2. टीएलसी
3. डीएलसी: पी / एल / एम / ई / बी
4. ईएसआर
5. पेरिफेरल स्मियर
ब्लडशुगर- एफ / पीपी
लिवर फंक्शन टेस्ट
किडनी फंक्शन टेस्ट
लिपिड प्रोफाइल
कार्डिएक प्रोफाइल
1. एस. एलडीएच
2. सीके-एमबी
3. एस.सीआरपी
4. एसजीओटी
यूएसजी –होल अब्डोमेन
ईसीजी
एक्स-रे चेस्ट
मैमोग्राफी

****

अनुलग्नक -डी

50+ सेअधिक उम्र के अधिकारियों (ई-1 से ई-7) के लिए प्रति वर्ष में एक बार स्वीकार्य टेस्ट
हेमोग्राम
1. एच बी %
2. टीएलसी
3. डीएलसी: पी / एल / एम / ई / बी
4. ईएसआर
5. पेरिफेरल स्मियर
ब्लडशुगर- एफ / पीपी
लिवर फंक्शन टेस्ट
किडनी फंक्शन टेस्ट
लिपिड प्रोफाइल
कार्डिएक प्रोफाइल
1. एस.एलडीएच
2. सीके-एमबी
3. एस.सीआरपी
4. एसजीओटी
पीएसए (पुरुषों के लिए)
पीएपी स्मियर (महिलाओं के लिए)
यूएसजी –होल अब्डोमेन
ईसीजी
एक्स-रे चेस्ट
आई (फंडस) एग्ज़ामिनेशन
इको
मैमोग्राफी

****